न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट मल्लाना)

वाद संख्या :– 03 / 26 / 2017

अनुवान–

1. रामस्वरूप पुत्र गंगासहाय जाति मीना निवासी तैजाला सिटावट तहसील राजगढ
2. सियाराम पुत्र गंगासहाय जाति मीना निवासी तैजाला सिटावट तहसील राजगढ – प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट

दिनांक 17.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट मल्लाना पर पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार राजगढ उपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। जैसा कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे व काश्त खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 400 / 0.38, 401 / 0.15, 411 / 0.34 वाके ग्राम सिटावट तहसील राजगढ में स्थित है। जिसके बन्दोबस्त सवंत 2046 से पूर्व के खसरा नं. 59, 60, 61, 62, 61 / 333 वाके ग्राम सिटावट तहसील राजगढ थे। यह है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नं. 402 गै.मु. रास्ता रकबा 6 एयर को वादी की खातदारी से काटते हुए गलत दर्ज कर दिया। जबकि उक्त आराजी पर पर्व या वर्तमान में मौके पर रास्ता नहीं था। तथा मिलान इन्डेक्स में भी गलत तौर खसरा नं. 402 को साबिक खसरा नं. 63 से बनना बताया है। जबकि खसरा नं. 402 साबिक खसरा नं. 61 का भाग है। साबिक खसरा नं. 61 व 62 प्रार्थीगण की खातेदारी के नं. हैं। साबिक नं. 62 को 63 ओवरराईटिंग करते हुए खसरा नं. 402 को मिलान में बनना बताया है जो एक क्लरिकल मिस्टेक है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर हाल खसरा नं. 402 को हाल नक्शे में जो साबिक खसरा नं. 61, 61 / 333 वाके ग्राम सिटावट तहसील राजगढ बनना बताया है। उसे दुरूस्त किया जाकर साबिक खसरा नं. 61 से बनना दर्ज किया जावे तथा प्रार्थीगण को खातेदार दर्ज किया जावे।

पटवारी हल्का मल्लाना तहसीलदार राजगढ द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई। उनके द्वारा जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया कि खसरा 400 / 0.38, 401 / 0.15, 411 / 0.34 वाके ग्राम सिटावट तहसील राजगढ प्रार्थीगण की खातेदारी में है। जो साबिक खसरा नं 59, 60, 61, 62, 61 / 333 से बने हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में हाल खसरा नं. 402 को साबिक खसरा नं. 61 से बने होना बताया है। जबकि हाल खसरा नं. 402 साबिक खसरा नं. 63 से बना है। जो साबिक खसरा नं 63 रकबा 5 बिस्वा सै. मु. रास्ता दर्ज था। साबिक खसरा नं. 63 रकबा 5 बिस्वा गै.मु. रास्ता से ही हाल खसरा नं. 402 रकबा 0.06 किस्म गै.मु. रास्ता बना है। जो साबिक के अनुसार सही है। पूर्व में आराजी गै. मु. रास्ता दर्ज थी। अतः गै.मु. रास्ता की खातेदारी दिया जाना उचित नहीं है। अंकित किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हलक मल्लाना तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट व प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का भी अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी हाल खसरा नं. 402 को साबिक खसरा नं. 61 61 / 333 वाके ग्राम सिटावट तहसील राजगढ से बनना बताया गया है। जबकि मिलान क्षेत्रफल 2046 के इन्द्राज व रिपोर्ट हल्का पटवारी मल्लाना व तहसीलदार राजगढ के अनुसार हाल खसरा नं. 402 / 0.06 वाके ग्राम सिटावट साबिक खसरा नं. 63 रकबा 5 बिस्वा से बना है। हाल खसरा नं. 402 / 0.06 मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 01 वाके ग्राम सिटावट में सिवायचक रास्ता दर्ज है तथा पर्चा सेटलमेंन्ट 2046 में साबिक खसरा नं. 63 रकबा 5 बिस्वा भी गै.मु. रास्ता दर्ज है। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य में दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जिससे कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती हो। प्रस्तुत रिकॉर्ड से व दस्तावेज से विवादित आराजी पूर्व में भी गै.मु. रास्ता थी तथा वर्तमान में भी पूर्व के अनुसार रास्ता दर्ज है। रास्ते के भूमि की खातेदारी दिया जाना उचित नहीं है। उक्त तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार राजगढ से भी होती है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर व तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के आधार पर काबिल स्वीकार योग्य साबित नहीं है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट हाल आराजी खसरा नं. 402 / 0.06 वाके ग्राम सिटावट तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 कैम्प कोर्ट मल्लाना पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम हो जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट मल्लाना)